झारखंड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग
झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2014

अधिसूचना

संख्या– 4068 रांची, दि0– 04/9/2014

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के अधीन राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

अध्याय : 1

– प्रारम्भिक –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :

i. यह नियमावली झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2014 कही जायेगी।
ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
iii. यह नियमावली इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

2. परिभाषायें :–

i. राज्य से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य।
ii. विभाग से अभिप्रेत है, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार।
iii. संवर्ग से अभिप्रेत है, अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग।
iv. नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, इस नियमावली में निहित नियुक्ति प्राधिकार।
v. आयोग से अभिप्रेत है झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग ।
vi. विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास, झारखंड की अध्यक्षता में अवर वन सेवा संवर्ग की प्रोन्नति से संबंधित कार्यों के लिए विभाग द्वारा गठित समिति।
vii. नियमावली से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2014।
viii. अन्य किसी शब्दों में स्पष्टता या विवेचना की आवश्यकता होने की स्थिति में उस शब्द का अर्थ वही समझा जाएगा जो झारखंड सेवा संहिता में अंकित है।

3. संवर्ग की संरचना एवं बल :–

i. वनरक्षी (मूल कोटि) एवं प्रथम प्रोन्नति का पद (प्रधान वनरक्षी)जिला स्तरीय होगा।

ii. इस संवर्ग के प्रोन्नति सोपान में अंकित वनपाल एवं उच्च पद राज्य स्तरीय होंगे।

iii. इस संवर्ग की संरचना एवं बल

क0	कोटि	पद	वेतनमान
1	2	3	4
1	मूलकोटि	वनरक्षी	P.B.- I (Rs. 5200-20200) GP-2000
2	प्रथम प्रोन्नति का पद	प्रधान वनरक्षी	P.B.- I (Rs. 5200-20200) GP-2400
3	द्वितीय प्रोन्नति का पद	वनपाल	P.B.- I (Rs. 5200-20200) GP-2800
4	तृतीय प्रोन्नति का पद	वन क्षेत्र पदाधिकारी	P.B.- II (Rs. 9300-34800) GP-4200

iv. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1638/वि0, दि0–16.06.2006 के निहित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकतानुसार पदसृजन एवं पद घटाने से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय : 2
भर्ती/नियुक्ति

4. वनरक्षी कोटि में नियुक्ति

i. **नियुक्ति पदाधिकारी** : वनरक्षी के नियुक्ति पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे।

ii. **रिक्तियों का नियतिकरण** :

प्रत्येक जिले के सभी प्रमंडलों में उपलब्ध वनरक्षियों की नियुक्ति हेतु उस जिले के प्रादेशिक वन संरक्षक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे जिले के सभी वन प्रमंडलों से कोटिवार रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर नियमानुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संगत नियमों/निदेशों का पालन करते हुए सक्षमस्तर से रोस्टर का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अनुमोदित रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की सूचना जिले के प्रादेशिक वन प्रमंडल के वन संरक्षक(नोडल पदाधिकारी) के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजी जाएगी जो नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजेगें एवं इसकी सूचना सरकार को देंगें।

iii. स्वीकृत पदों के विरूद्व रिक्त पदो को भरे जाने हेतु प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात यथा 1 जनवरी तक की कोटिवार गणना की जायेगी।

अध्याय : 3
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रकिया

5. वनरक्षी के स्वीकृत कुल कार्य बल में रिक्तियों के शत प्रतिशत पदों को सक्षमस्तर द्वारा स्वीकृत रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जाएगा। झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत की गई अनुशंसा के आलोक में यह नियुक्तियां नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। सम्पूर्ण राज्य के सभी जिलों या जिला समूहों में परीक्षा का आयोजन एक दिन एवं एक ही समय किया जाएगा।

6. **वनरक्षी पद पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति हेतु अर्हताएं :**

i. **उम्र सीमा** : उम्मीदवार को नियुक्ति के कैलेण्डर वर्ष में माह अगस्त की प्रथम तिथि (01 अगस्त) को 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अत्यन्त पिछड़ी जाति, एवं महिला उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में नियुक्ति के समय विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व राज्य सरकार के प्रतिपादित प्रावधान लागू होंगे। उम्मीदवार की आयु की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

ii. झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा चिकित्सीय परीक्षण का आयोजन किया जायेगा।

iii.

i. **शैक्षणिक योग्यता** : वनरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा झारखण्ड सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद से **इन्टरमिडियट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता** होनी चाहिए।

ii. **शारीरिक योग्यता परीक्षण :**

a. **पुरूष उम्मीदवार हेतु :**

i. न्यूनतम उँचाई : 165 से.मी., परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के लिए 155 से.मी.

ii. न्यूनतम छाती : 79 से.मी. तथा फुलाने के बाद 84 से.मी., परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के लिए 77 से.मी. तथा फुलाने के बाद 81 से.मी.

b. **महिला उम्मीदवार हेतु :**

i. न्यूनतम उँचाई : 155 से.मी.,

ii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 150 से.मी.

c. **पुरूष उम्मीदवार हेतु** : चार घंटे की अवधि में न्यूनतम 25 कि.मी. पैदल चलने की क्षमता ।

d. **महिला उम्मीदवार हेतु** : चार घंटे की अवधि में न्यूनतम 14 कि.मी. पैदल चलने की क्षमता ।

7. नियुक्ति प्रक्रिया :–

i. झारखण्ड राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा कोटिवार जिलावार आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप मेधा सूची भी तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु उचित कार्रवाई करेंगे।

8. **लिखित परीक्षा का स्वरूप** : लिखित परीक्षा तीन पत्रों का होगा जिसका स्वरूप निम्नवत होगा।

(i) **प्रथम पत्र** : जिला विशेष के लिए अनुसूची–1 में दर्शाये गये जिलावार जनजातीय / क्षेत्रीय भाषा कुल 100 अंक का होगा।

परीक्षा की अवधि–1 घंटे 30 मिनट।

(ii) **द्वितीय पत्र : भाषा एवं गणित**

हिन्दी– 50 अंक
अंग्रेजी– 50 अंक
गणित– 50 अंक
कुल – 150 अंक

अवधि – 2 घंटा

परीक्षा का स्तर – **मैट्रिक**

(iii) **तृतीय पत्र : बौद्विक एवं सामान्य ज्ञान**

सामान्य ज्ञान – 50 अंक
बौद्विक – 50 अंक
रिजनिंग – 25 अंक
कम्प्यूटर – 25 अंक
कुल – 150 अंक

अवधि – 2 घंटा

परीक्षा का स्तर – **मैट्रिक**

(iv) चयन हेतु न्यूनतम अहर्त्तांक का सामान्य रूप से निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 की कंडिका–VI के आलोक में निम्न रूप से होगा :–

समान्य वर्ग	40%
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनक्चर–1	34%
अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग	32%

(v) जिला विशेष के लिए उम्मीदवारों के चयन में उस जिले के स्थायी निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi) परीक्षा के स्वरूप के संबंध में झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग विभाग से परामर्श प्राप्त कर परीक्षा के स्वरूप एवं कुल अंको का निर्धारण कर सकेगा।

9. उपर्युक्त लिखित परीक्षा में सभी विषयों में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटिवार अलग–अलग मेधा सूची शारीरिक परीक्षण हेतु तैयार की जायेगी।

10. **शारीरिक योग्यता परीक्षण** :– इस मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु आयोग द्वारा स्थल, तिथि एवं समय का निर्धारण किया जायेगा। परीक्षण कार्य में सहयोग के लिए आयोग विभाग से विमर्श कर विभागीय पदाधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों का एक बोर्ड गठित कर सकेगा। शारीरिक परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी।

11. i. **चिकित्सकीय परीक्षण** :– झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग के चिकित्सीय परीक्षण संबंधी प्रावधान एवं निर्धारित मापदंड के अनुरूप चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा । स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखंड सरकार द्वारा आयोग के अनुरोध पर गठित चिकित्सा बोर्ड के सहयोग से कराया जाएगा। आयोग द्वारा तैयार की गई मेधा सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा। आयोग को उम्मीदवारों का चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन उक्त चिकित्सा पर्षद उपलब्ध कराएगा।

नियुक्ति के लिए स्वस्थ्य घोषित होने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। इसकी पुष्टि एतदर्थ गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जायेगी।

ii मेधा सूची में सम्मिलित होने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं :–
मेधा सूची में किसी भी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित होने से उन्हें नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति पदाधिकारी उनके चरित्र एवं पूर्व इतिहास के संबंध में आवश्यक जांचोपरांत संतुष्ट न हो जाय।

12. आयोग यदि आवश्यक समझेगा तो विभाग के परामर्श से चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा भी ले सकेगा एवं प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप विभाग के परामर्श से निर्धारित कर सकेगा।

13. आयोग यदि आवश्यक समझेगा तो मुख्य परीक्षा के स्वरूप में विभाग के परामर्श से संशोधन कर सकेगा।

अध्याय–4

प्रोन्नति

14. अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग में प्रोन्नति का पदसोपान :–

इस संवर्ग का प्रोन्नति का पदसोपान निम्नरूप से होगा।

क0	कोटि	पद	वेतनमान	न्यूनतम कालावधि
1	2	3	4	5
2	प्रथम प्रोन्नति का पद	प्रधान वनरक्षी	P.B.-I (Rs. 5200-20200) GP-2400	कार्मिक एवं प्रशासनिक, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार

3	द्वितीय प्रोन्नति का पद	वनपाल	P.B.- I (Rs. 5200-20200) GP-2800	वही
4	तृतीय प्रोन्नति का पद	वन क्षेत्र पदाधिकारी	P.B.- II (Rs. 9300-34800) GP-4200	वही

15. i. प्रोन्नति के वनपाल एवं उससे उच्चस्तर के पद राज्यस्तरीय होंगे ।

ii. वनपाल में प्रोन्नति के लिए राज्यस्तरीय रोस्टर के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान लागू होंगे।

iii. वनरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा वनरक्षी के पद पर सेवा सम्पुष्ट होना अनिवार्य होगा।

iv. कालावधि जो इस स्तर के पद में प्रोन्नति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित हो।

v. ऐसे सभी वनरक्षी, प्रधान वनरक्षी एवं वनपाल जो कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन यथा 31 दिसम्बर तक उक्त न्यून्तम अर्हताएं प्राप्त कर लेते हैं, को ही उस कैलेण्डर वर्ष में प्रोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त माना जायेगा।

vi. **प्रोन्नति प्राधिकार** : वनरक्षी से प्रधान वनरक्षी, प्रधान वनरक्षी से वनपाल एवं वनपाल से वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति अनुशंसा करेगी ।

vii. प्रधान वनरक्षी के तथा वनपाल के शत–प्रतिशत पद प्रोन्नति के होंगे एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पद ही प्रोन्नति से भरे जायेंगे, शेष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से नियुक्ति की जायेगी।

viii. **प्रोन्नति की प्रक्रिया** :

प्रत्येक जिला के सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय वनपाल एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के स्वीकृत बल के विरूद्व रिक्ति की सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक को उपलब्ध करायेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक इसे समेकित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड, रांची को रोस्टर अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायेंगे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास झारखंड, रांची द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड, रांची से प्रोन्नति हेतु अनुमोदित रोस्टर प्राप्त कर प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

16. विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास, झारखंड–	अध्यक्ष
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक–	सदस्य
मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित स्थापना) –	सदस्य सचिव
मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय–	सदस्य

प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण
विभाग द्वारा मनोनीत संबंधित
स्थापना के प्रभारी उप सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड– सदस्य

कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य – सदस्य

प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड द्वारा नामित मुख्य
वन संरक्षक से अन्यून स्तर के एक पदाधिकारी– सदस्य

i. विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वनपाल के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसित प्रधान वनरक्षी की प्रोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक होंगे। इनके द्वारा प्रोन्नत वनपालों की राज्यस्तरीय वरीयता सूची का संधारण किया जाएगा। वनपाल के पद पर प्रोन्नति के पूर्व राज्य स्तरीय वरीयता का संधारण कर लिया जायेगा।

ii. वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार होगा तथा इसकी वरीयता सूची का संधारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

iii. उपरोक्त विभागीय समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य संरक्षक, झारखंड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

अध्याय : 5

– विविध –

17. क. **प्रशिक्षण** : सीधी भर्ती से नियुक्त वनरक्षी नियुक्ति के उपरान्त प्रशिक्षण हेतु वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय मे भेजे जाएगे। किसी भी परिस्थिति में अप्रशिक्षित नव नियुक्त वनरक्षी को क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित प्रावधान होंगे–

i. प्रशिक्षण अवधि में वेतन एवं अन्य भत्ता देय होगा।

ii. प्रत्येक वनरक्षी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु निर्धारित अर्हताओं के साथ प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

iii. वनरक्षी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम दो अतिरिक्त अवसर दिये जायेंगे। इस प्रकार व्यवहृत अतिरिक्त अवसरों के उपरांत भी यदि कोई परीक्ष्यमान वनरक्षी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने में असफल होता है, तो उसकी सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

iv. प्रशिक्षण के दौरान वनरक्षी यदि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा अपराधिक कृत्य में लिप्त पाये जाते हैं, तो उनकी सेवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

ख. **परिवीक्षा** : सीधी भर्ती से नियुक्त वनरक्षी 6 माह के लिए कार्यरत वनरक्षी/वनपाल के साथ क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु संलग्न रहेंगे। परिवीक्षाधीन अवधि के पश्चात संबंधित जिले के किसी भी उप वन परिसर में पदस्थापित किया जाएगा।

18. **विभागीय परीक्षा** : विभागीय परीक्षा बिना पास किए कोई वार्षिक वेतन वृद्वि देय नहीं होगी। विभागीय परीक्षा में वन, पर्यावरण, संरक्षण एवं फोरेस्ट एक्ट की भी परीक्षा होगी ।

(क) वनरक्षी एवं अन्य सोपान में प्रत्येक 5 वर्ष पर दो माह का रिफ्रेसर कोर्स करना प्रोन्नति के लिए अनिवार्य होगा ।

(ख) प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम वनरक्षियों एवं अन्य सोपान में करना होगा ।

(ग) प्रोन्नति होने पर एक माह का इंडक्शन कोर्स अनिवार्य होगा ।

(घ) परीक्षा प्रारूप पर परीक्षा प्राधिकार विभाग से सहमति ले लिया जाएगा ।

19. **सेवा सम्पुष्टि** : नियमित नियुक्ति की तिथि के 2 वर्ष /विभागीय उत्तीर्णता की तिथि जो बाद में हो उस तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। बशर्ते विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो एवं कोई आरोप प्रमाणित न हो। विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडो को पूर्ण किया गया हो।

20. **अनुशासनिक कार्रवाई** : अवर वन सेवा संवर्ग के सदस्यों पर कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई Bihar & Orissa Subordinate Services (Discipline & Appeal) Rules, 1935 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकेगी।

21. **वर्दी** : अवर वन सेवा संवर्ग के सभी सदस्य वर्दीधारी होंगे। इस सेवा संवर्ग के लिए वर्दी का स्वरूप वही होगा जैसा कि विभाग द्वारा विर्निदिष्ट किया जायेगा।

22. वनरक्षी, प्रधान वनरक्षी एवं वनपाल की सेवा पुस्ति का संधारण संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन सभी कर्मियों के अभिलेख Software के माध्यम से संधारित करायेंगे।

23. **विनियमन** : इस नियमावली में अंकित नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ यदि किसी विषय जिसके लिए उपबंध आवश्यक है, की व्यवस्था करने के लिए विभाग राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परामर्श से ऐसे विनियम बना सकेगा जो असंगत न हों।

24. **निरसन एवं व्यावृत्तियां** :– i. इस नियमावली के किसी नियम से यदि किसी सरकारी सेवक या सेवकों के समूह को अतिशय कष्ट हो तो सरकार उक्त नियम को उस हद तक शिथिल कर सकती है जिससे की उक्त सरकारी सेवको का कष्ट न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त ढंग से दूर किया जा सके।

ii. इस नियमावली के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने की शक्ति झारखंड सरकार में निहित होगी।

iii. इस नियमावली के प्रदत्त होने की तिथि से पूर्व झारखंड में लागू संबंधित नियमावली/नियम/आदेश निरसित हो जाएंगे एवं कोई कार्य या कार्यवाही, जो पूर्व में लागू नियमावली/नियम/आदेश के अंतर्गत की गई थी, के संबंध में यह माना जाएगा कि इस नियमावली के उपबंधों के अधीन की गयी है या की गई मानी जाएगी, जब तक कि वह इस नियमावली के अधीन किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित, रूपांतरित या परिवर्तित न कर दी जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

(जयकिशोर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 2/क्षे0स्था0(4) –31/2004 (खण्ड–ख)– 4068 व0प0,रांची, दिनांक 04/9/2014

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राजकीय गजट में प्रकाशित करते हुए इसकी 300 प्रतियॉं विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 2/क्षे0स्था0(4) –31/2004 (खण्ड–ख)– 4068 व0प0,रांची, दिनांक–04/9/2014

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/सचिव वित विभाग, झारखण्ड, रांची/ प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची/विधि परामर्शी, विधि न्याय विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 2/क्षे0स्था0(4) –31/2004 (खण्ड–ख)– 4068 व0प0,रांची, दिनांक–04/9/2014

प्रतिलिपि–सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/ सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/ सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/ सभी वन संरक्षक, झारखण्ड तथा सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 2/क्षे0स्था0(4) –31/2004 (खण्ड–ख)– 4068 व0प0,रांची, दिनांक–04/9/2014

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, रांची/विशेष सचिव/उप सचिव–1 एवं 2/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः 3458 दिनांकः 04.09.2014

प्रतिलिपिः सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास,
झारखंड, रांची

अनुसूची–I

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधीन वनरक्षी की नियुक्ति हेतु जिलावार जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की सूची

क्र0सं0	जिला का नाम	जनजाति भाषा	क्षेत्रीय भाषा
1.	राँची	कुडुख, खड़िया	नागपुरी, पंचरगनिया, कुरमाली, बंगला
2.	लोहरदगा	कुडुख	नागपुरी
3.	गुमला	कुडुख, खड़िया, असुर, बिरहोर	नागपुरी
4.	सिमडेगा	कुडुख, खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी
5.	खूँटी	कुडुख, खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी, पंचरगनिया, कुरमाली
6.	पलामू	कुडुख, असुर	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
7.	गढ़वा	कुडुख	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
8.	लातेहार	कुडुख, असुर	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
9.	पू0 सिंहभूम (जमशेदपुर)	मुण्डारी, हो, भूमिज, संथाली, कुडुख	कुरमाली, बंगला, उड़िया
10.	प0 सिंहभूम	कुडुख, हो, भूमिज, मुण्डारी, संथाली	कुरमाली, उड़िया
11.	सरायकेला–खरसावाँ	हो, भूमिज, मुण्डारी, संथाली	पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला
12.	हजारीबाग	संथाली, कुडुख, बिरहोर	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
13.	गिरिडीह	संथाली	खोरठा, कुरमाली
14.	कोडरमा	संथाली	कुरमाली, खोरठा
15.	चतरा	संथाली, कुडुख, मुण्डारी, बिरहोर	नागपुरी, खोरठा
16.	रामगढ	संथाली, कुडुख, बिरहोर	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
17.	बोकारो	संथाली	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बंगला
18.	धनबाद	संथाली	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बंगला
19.	दुमका	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
20.	देवघर	संथाली	खोरठा, अंगिका
21.	पाकुड़	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
22.	साहेबगंज	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
23.	गोड्डा	संथाली, माल्तो	खोरठा, अंगिका
24.	जामताड़ा	संथाली	खोरठा, बंगला, अंगिका